"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 427] रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 सितम्बर 2017 — आश्विन 5, शक 1939

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ 7-4/सात-1/2015 (पार्ट). — राज्य शासन, एतद्द्वारा, संविधान की राज्य सूची के विषय क्रमांक-18 भूमि (अंतरण) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 7-4/सात-1/2015 दिनांक 30 मार्च, 2016 (प्रकाशित छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2016) द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016" में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नीति में,-

उक्त नीति की कण्डिका-2 की उप-कण्डिका 6 में शब्द "उपरोक्तानुसार भूमि मूल्य निर्धारण के बाद प्रत्येक विक्रेता परिवार को 5.00 लाख (पांच लाख) रुपये पुनर्वास अनुदान के रुप में पृथक से दिया जावेगा", के स्थान पर, शब्द "प्रत्येक विक्रेता परिवार (खाते) को भूमि मुआवजा के अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान के रूप में इतनी राशि प्रदान किया जावे जो भूमि के मुआवजा का 50 प्रतिशत के बराबर, जो अधिकतम 5.00 लाख (पांच लाख) रुपये होगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.